फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय जिला कलक्टर, सिरोही

प्रार्थी / अपीलांट	बनाम	अप्रार्थी / रेस्पोडेन्ट
श्रीमती पूर्णिमा देवी पत्नि स्व. श्री सतीश कुमार		सरकार जरिये
जाति अग्रवाल निवासी करोटी		अभियोजन अधिकारी सिरोही
तहसील रेवदर		
निवासी सिरोही		

किस्म मुकदमा– **प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6ए ई.सी.एक्ट**

मुकदमा नं. 11 वर्ष 2026

दिनांक हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
12.05.2026	प्रार्थी की ओर से यह प्रार्थना पत्र अप्रार्थी के विरूद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6ए के तहत पेश किया गया। प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि पुलिस थाना रेवदर के सी. आर. नं. 144 दिनांक 28.08.2025 के द्वारा कृषि अधिकारी (पौध संरक्षण) कार्यालय सहायक निदेशक कृषि विस्तार सिरोही ने द्वारा गलत रूप से प्रार्थी के npk 20:20:0 एवं Murate of Potash उर्वरक के कुल 136 कट्टों को जब्त किया गया हैं। उसे जमानत एवं सुपुर्दगीनामें पर प्रार्थी को सुपुर्द करावें। प्रकरण को दर्ज रजिस्टर किया गया एवं प्रार्थना पत्र की प्रति अभियोजन अधिकारी सिरोही को दी जाकर केस डायरी तलब की गई एवं मूल परिवाद मंगवाया जाकर मैंनें परिवाद का अवलोकन किया। मूल डायरी का अध्ययन किया गया एवं परिवाद का अवलोकन करने पर पाया गया, कि दिनांक 28.08.2025 को श्री विक्रमसिंह मीणा कृषि अधिकारी (पौध संरक्षण) कार्यालय सहायक निदेशक कृषि विस्तार सिरोही द्वारा पुलिस थाना रेवदर में इस आशय की लिखित रिपोर्ट पेश की कि आबूरोड के रास्ते पर स्थित A.P. Hospital के पास ममता कॉम्पलैक्स में दुकानों में npk 20:20:0 एवं Murate of Potash उर्वरक का अवैध रूप से भण्डारण किया जा रहा था। मौके पर पहुंचने पर उक्त दोनों उर्वरक npk 20:20:0 उर्वरक के 109 कट्टे एवं Murate of Potash उर्वरक के 27 कट्टे पाए गए। इस प्रकार मौके पर कुल 136 कट्टे उर्वरक के पाए गए। उक्त कट्टे फर्म पूर्णिमा एग्रीकोस करोटी तह. रेवदर के थे एवं फर्म के प्रतिनिधि श्रीमती पूर्णिमा देवी पत्नि श्री सतीश अग्रवाल के सुपुत्र श्री कवित अग्रवाल से लाईसेंस मांगा गया, लाईसेंस में उक्त गोदाम जुडा नहीं होने के कारण उक्त गोदाम में रखे उर्वरक npk 20:20:0 उर्वरक के 109 कट्टे एवं Murate of Potash उर्वरक के 27 कट्टे कुल 136 कट्टों को जब्त किया गया एवं नमूना आहरण किया गया। अतः मौके पर बिना लाईसेंस के पाए गए अवैध npk 20:20:0 एवं Murate of Potash उर्वरक को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की	

जिला कलेक्टर, सिरोही

Continue...

धारा 3/7 एवं उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 की धारा 7,8,19(सी)(11) का स्पष्ट उल्लंघन होने से जब्त किया जाकर कब्जे सरकार लिया गया। अतः धारा 7,8,19(सी)(11) उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 एवं 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम का उल्लघंन होने से मुकदमा दर्ज किया जाकर यह प्रकरण कब्जे सरकार लिए गए उर्वरक को जमानत एवं सुपुर्दगीनामें पर सुपुर्द किए जाने हेतु इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया ।

हाजिर अदालत अभियोजन अधिकारी सिरोही एवं प्रार्थी अधिवक्ता श्री उमाराम रेबारी की बहस सुनी गई। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया गया कि जब्त की गई वस्तुओं का प्रार्थिया द्वारा कोई अवैध भण्डारण नहीं किया गया है। उक्त उर्वरक प्रार्थिया के अन्य गोदाम में रखा हुआ था तथा उक्त गोदाम को भी प्रार्थिया के लाईसेंस में जोडने के लिए आवेदन भी उक्त मुकदमा दर्ज होने से पहले कर रखा है। उक्त उर्वरक जांच करने पर मानक पाया गया है। इस प्रकार पुलिस द्वारा झूठा मुकदमा दर्ज करवाया गया है। यह कि प्रार्थिया के माल को गलत तथ्यों के आधार पर बिना समुचित जांच किए ही जब्त कर मुकदमा दर्ज किया गया है तथा उक्त जब्तशुदा माल/उर्वरक को प्रार्थिया ने भारी बारिश के कारण खराब नहीं हो इसीलिए ही प्रार्थिया ने अपने माल को दूसरे गोदाम में रखा था, जिसमें प्रार्थिया की कोई बदनियती व लापरवाही नहीं थी। प्रार्थिया को उक्त उर्वरक को बेचने, खरीदने व परिवहन करने व गोदाम में रखने का लाईसेंस प्राप्त है। यह कि प्रार्थिया को उक्त माल पडा–पडा खराब हो रहा है एवं उक्त माल की गुणवत्ता भी पडा रहने से कम होती जा रही है एवं उक्त माल की पुलिस व रसद विभाग को अनुसंधान के लिए भी कोई आवश्यकता नहीं है। उक्त माल को जब्त करने से प्रार्थिया को भारी आर्थिक हानि हो रही है। अतः उक्त जब्त उर्वरक का एक मात्र स्वामी प्रार्थिया होने से जब्तशुदा उर्वरक को जमानत एवं सुपुर्दगीनामें पर प्रार्थिया को दिए जाने के आदेश प्रदान करावें।

अभियोजन अधिकारी द्वारा प्रार्थी अधिवक्ता के तर्को का विरोध करते हुये निवेदन किया कि प्रार्थी द्वारा उर्वरक का अवैध रूप से भण्डारण कर कालाबाजारी करने हेतु गोदाम में रखा हुआ था, जिसका प्रार्थी के पास लाईसेंस नहीं था। जो आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध होने से कृषि अधिकारी द्वारा उर्वरक को कब्जे सरकार लिया गया। प्रकरण का अनुसंधान जारी है। ऐसी स्थिति में उर्वरक को सुपुदर्गीनामे पर सुपुर्द नहीं किया जावें। पुलिस थाना रेवदर के मुकदमा संख्या 144 दिनांक 28.08.2025 के अन्तर्गत धारा 3/7 ई.सी.एक्ट में उक्त उर्वरक को कब्जे सरकार लिया गया है। अतः उक्त उर्वरक को सुपुर्दगीनामे पर सुपुर्द करवाने के आदेश प्रदान नहीं करावे।

Continue...

जिला कलेक्टर, सिरोही

मैनें दोनों पक्षों की सुनी गई बहस पर मनन किया। थानाधिकारी पुलिस थाना रेवदर के एफ आई आर क्रमांक 144 दिनांक 28.08.2025 एवं प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत पत्रादि का अध्योपान्त मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया तो इस निष्कर्ष इस प्रकार है कि आबूरोड के रास्ते पर स्थित A.P. Hospital के पास ममता कॉम्पलैक्स में दुकानों में npk 20:20:0 एवं Murate of Potash उर्वरक का अवैध रूप से भण्डारण किया जाने से श्री विक्रमसिंह मीणा कृषि अधिकारी (पौध संरक्षण) कार्यालय सहायक निदेशक कृषि विस्तार सिरोही द्वारा मौके पर पहुचंने पर उक्त दोनों उर्वरक npk 20:20:0 उर्वरक के 109 कट्टे एवं Murate of Potash उर्वरक के 27 कट्टे पाए गए। इस प्रकार मौके पर उर्वरक के कुल 136 कट्टे पाए गए। उक्त कट्टे फर्म पूर्णिमा एग्रीकोस करोटी तह. रेवदर के थे एवं फर्म के प्रतिनिधि श्रीमती पूर्णिमा देवी पत्नि श्री सतीश अग्रवाल के सुपुत्र श्री कवित अग्रवाल से लाईसेंस मांगा गया, लाईसेंस में उक्त गोदाम जुडा नहीं होने के कारण उक्त गोदाम में बिना लाईसेंस के अवैध रूप से रखे गए उर्वरक के कुल 136 कट्टों को जब्त किया गया तथा उक्त अवैध भण्डारण के सम्बन्ध में पुलिस थाना रेवदर में एफ.आई.आर. दर्ज करवाई गई, जिस पर पुलिस द्वारा श्री कवित अग्रवाल को गिरफ्तार किया जाकर प्रकरण में अग्रिम अनुसंधान जारी है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि कब्जे सरकार लिए गए उर्वरक के नमूना विश्लेषण में उक्त उर्वरक को मानक घोषित किया गया है मगर भण्डारण के सम्बन्ध में प्रार्थी के पास वैध लाईसेंस/ अनुज्ञापत्र नहीं होने से उक्त उर्वरक को कब्जे सरकार लिया गया है। इस सम्बन्ध में प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा कथन किया गया है कि प्रार्थिया द्वारा कोई अवैध भण्डारण नहीं किया गया है, बल्कि उक्त उर्वरक को प्रार्थिया के अन्य गोदाम में रखा हुआ था तथा उक्त गोदाम को भी प्रार्थिया के लाईसेंस में जोडने के लिए आवेदन भी उक्त मुकदमा दर्ज होने से पहले कर रखा है। चूंकि प्रार्थिया द्वारा उक्त गोदाम को लाईसेंस में जोडने हेतु आवेदन तो किया हुआ था, परन्तु उक्त जब्तशुदा उर्वरक Murate of Potash उर्वरक के 27 कट्टे प्रार्थिया के मालिकी स्वामित्व के नहीं होकर 14 कट्टे श्री अमृतलाल एवं 13 कट्टे श्री प्रवीणदान के थे, जिनका बिल भी श्री अमृतलाल एवं श्री प्रवीणदान के नाम से जारी किया हुआ है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि उपरोक्त जब्तशुदा उर्वरक Murate of Potash उर्वरक के सम्बन्ध में श्री अमृतलाल एवं श्री प्रवीणदान की ओर से प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा इस न्यायालय में इस आशय का सहमति पत्र प्रस्तुत किया है कि उक्त जब्तशुदा उर्वरक श्री अमृतलाल एवं श्री प्रवीणदान द्वारा बारिश के कारण प्रार्थिया के गोदाम में रखा हुआ था, जिसे प्रार्थिया को सुपूर्द करने में इन्हें कोई आपत्ति नहीं है। चूंकि श्री अमृतलाल एवं श्री प्रवीणदान द्वारा बारिश के कारण उक्त जब्तशुदा उर्वरक को प्रार्थिया के गोदाम में तो रखा हुआ था, परन्तु श्री अमृतलाल एवं श्री प्रवीणदान के पास भी भारी मात्रा में

Continue...

जिला कलेक्टर, सिरोही

उर्वरक रखने का लाईसेंस नहीं था और न ही प्रार्थिया के पास उक्त जब्तशुदा उर्वरक को गोदाम में रखने का वैध लाईसेंस/अनुज्ञापत्र उपलब्ध था। अतः बिना वैध लाईसेंस/अनुज्ञापत्र के उक्त उर्वरक को गोदाम में भण्डारण करना अवैध है, जो आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत प्रतिबन्धित है। अतः ऐसी स्थिति में उक्त जब्तशुदा उर्वरक को प्रार्थिया को लौटाया जाना न्यायसंगत प्रतीत नहीं होता है।

अतः ऐसी स्थिति में प्रार्थिया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना खारिज किया जाकर कब्जे सरकार लिए गए उर्वरक npk 20:20:0 उर्वरक के 109 कट्टे एवं Murate of Potash उर्वरक के 27 कट्टे कुल 136 कट्टों को समयपहरण (Confiscate) करने के आदेश दिये जाते है।

संयुक्त निदेशक कृषि विस्तार, सिरोही कब्जे सरकार लिए गए उर्वरक npk 20:20:0 उर्वरक के 109 कट्टे एवं Murate of Potash उर्वरक के 27 कट्टे कुल 136 कट्टों का निस्तारण लाईसेंस होल्ड़र फर्म को नियमानुसार नीलामी/कम्पनी दर वितरण करवाया जाकर प्राप्त राशि राजकीय राजकोष जमा कराने की कार्यवाही करें एवं चालान की प्रति इस न्यायालय में प्रस्तुत करें।

आदेश की प्रति पालनार्थ संयुक्त निदेशक कृषि विस्तार, सिरोही, कृषि अधिकारी (पौध संरक्षण) कार्यालय सहायक निदेशक कृषि विस्तार सिरोही एवं थानाधिकारी पुलिस थाना रेवदर को भिजवाई जावे। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर होकर फैसल शुमार हो एवं नम्बर से कम होकर मूल पत्रावली के साथ नत्थी रखा जावे।।

(रोहिताश्व सिंह तोमर)
जिला कलक्टर, सिरोही